एस.एस. सरोन, जे. के समक्ष

भरत सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

संभागीय नहर अधिकारी एवं अन्य,-प्रतिवादी

CWP No. 7884 of 2008

11 नवंबर 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-हरियाणा नहर और ड्रेनेज अधिनियम, 1974- धारा 20-एक सह-हिस्सेदार द्वारा सिंचाई के प्रयोजन के लिए भूमि को दूसरे आउटलेट में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका मुख्य नहर अधिकारी तक खारिज कर दी गई-अन्य सह-हिस्सेदार भी शुरू की गई कार्यवाही में नहर अधिकारियों के समक्ष विफल रहे उचित सिंचाई के प्रयोजनों के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए - मामले को अंतिम रूप दिया गया - मुख्य नहर अधिकारी ने एक सह-हिस्सेदार के आवेदन पर क्षेत्र को स्थानांतरित करने का आदेश दिया - उसे चुनौती दी गई - यह दिखाते हुए विभिन्न आदेश पारित किए गए कि विभिन्न चरणों में मामले पर उचित विचार किया गया है 1974 अधिनियम के तहत विभिन्न प्राधिकरण-मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है और निर्णय लिया गया है, इसे फिर से उत्तेजित करने की अनुमति नहीं देना उचित और समीचीन होगा-मुख्य नहर अधिकारी का आदेश सार्वजनिक नीति और न्याय प्रशासन के खिलाफ है-याचिका स्वीकार की गई, आदेश मुख्य नहर अधिकारी को अलग कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार राहत के लिए एक याचिका एक या कुछ सह-हिस्सेदारों द्वारा दायर की गई थी और उसके बाद कुछ अन्य सह-हिस्सेदारों द्वारा समान राहत के लिए याचिका दायर की गई थी, बाद की याचिकाएं यदि पूरी तरह से पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं हैं, अगली याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं को किसी भी स्थिति में उसी दावे को दोबारा करने से रोका जाएगा। सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, यह समझदारी होगी कि एक पार्टी को उसी मुद्दे पर बार-बार आंदोलन करने से रोका जाए जिस पर अंततः निर्णय लिया जा चुका है। हालाँकि, ऐसे मामले में जहां अनुचित विचार किया गया है या कोई गलत निर्णय लिया गया है या मामले की किसी भी निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई में धोखाधड़ी, मिलीभगत या विफलता हुई है, सारांश कार्यवाही में अंतिम रूप से निर्धारित किए गए मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। मौजूदा मामले में वैसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में विभिन्न आदेश पारित किये गये मामले से पता चलता है कि अधिनियम के तहत विभिन्न चरणों और विभिन्न अधिकारियों द्वारा मामले पर उचित विचार किया गया है। इसलिए, एक बार जब मामले का अंतिम निर्णय हो गया और उस पर फैसला सुनाया गया, तो यह उचित और समीचीन होगा कि इसे फिर से उत्तेजित करने की अनुमति न दी जाए। मुख्य नहर अधिकारी - दिनांक 8 अप्रैल, 2008 के आदेश के तहत जल मार्ग को न बदलने की निर्धारित स्थिति

को अस्थिर करते हुए, न केवल निर्णयों को अंतिम रूप देने से रोका गया है, बल्कि एक गलत संदेश दिया है कि एक वादी दायर करना जारी रख सकता है। दावा की गई राहत के लिए आवेदन और यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो भी इसे बाद के किसी चरण में प्रदान किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति और न्याय प्रशासन के विरुद्ध है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ताओं के वकील अशोक वर्मा।

सुधीर मक्कड़, सीनियर डीएजी, हरियाणा, उत्तरदाताओं 1 से 3. के लिए।

एस.आर. हुडा, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील।

एस.एस. सरोन, जे.

(1) वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें मुख्य नहर अधिकारी, भाखड़ा जल सेवा इकाई (बीडब्ल्यूएसयू), हरियाणा सिंचाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी9) को रद्द करने की मांग की गई है। विभाग, सिंचाई भवन, पंचकुला (प्रतिवादी संख्या 3)।

(2) याचिकाकर्ताओं और मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) के बीच विवाद आउटलेट आरडी12000/एल राजली माइनर के चक से सिंचाई के उद्देश्य से 20.08/20.08 एकड़ भूमि के चक तक हस्तांतरण से संबंधित है। गांव बधावर, जिला हिसार का आउटलेट आरडी नंबर 8920/आर खरक माइनर।

(3) मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के चार भाई हैं, भरत सिंह, भारमवीर सिंह, धूप सिंह और सूबे सिंह। वे सभी 20.08 एकड़ भूमि के सह-हिस्सेदार हैं, जिसे वे आउटलेट आरडी 12000/एल राजली माइनर के 'चक' से आउटलेट आरडी 8920/आर खरक माइनर के 'चक' में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं।

(4) मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) के भाइयों में से एक भरत सिंह ने वर्ष 1990 में पूर्वोक्त भूमि को आउटलेट आरडी 12000/एल राजली माइनर के चक से चक में स्थानांतरित करने की कार्यवाही शुरू की थी गांव बधावर का आउटलेट आरडी नंबर 8920/आर खरक माइनर। जिला हिसार ने इस आधार पर कि 20.08 एकड़ क्षेत्र को मौजूदा स्रोत से ठीक से सिंचित नहीं किया जा रहा था और भरत सिंह का कुछ क्षेत्र पहले से ही प्रस्तावित आउटलेट के 'चक' में था; इसके अलावा, वह उपरोक्त दोनों आउटलेट के समायोजन की लागत वहन करने के लिए तैयार था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आवेदन 14 सितंबर के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। 1990 (अनुलग्नक पी2) प्रभागीय

नहर अधिकारी, हिसार भाखड़ा नहर प्रभाग, हिसार द्वारा। इसके विरुद्ध भरत सिंह द्वारा दायर अपील को अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा 15 जनवरी, 1991 (अनुलग्नक पी3) को खारिज कर दिया गया। मुख्य नहर अधिकारी, भाखड़ा जल सेवा इकाई द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 1997 (अनुलग्नक पी 4) के आदेश के तहत, हिसार भाखड़ा नहर सर्कल, हिसार और भरत सिंह द्वारा दायर उसी के खिलाफ पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया था। हरयाणा।

(5) वर्तमान याचिका मुख्य नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी9) के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है। विवादित आदेश अब मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर आधारित है। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के भाइयों में से एक भरत सिंह द्वारा 20.08 एकड़ क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए पहले की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें 16.81 एकड़ का क्षेत्र मुख्य नहर अधिकारी के पास खो गया था, मोहिंदर सिंह सहित अन्य चार भाई (प्रतिवादी संख्या 4) ने 20.08 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से 16.81 एकड़ क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1) के समक्ष वर्ष 2000 में एक आवेदन दायर किया। संभागीय नहर अधिकारी, (प्रतिवादी संख्या 1) ने दिनांक 29 सितंबर, 2000 (अनुलग्नक पीएस) के आदेश के तहत आवेदन को खारिज कर दिया और अपील में, अधीक्षक नहर अधिकारी, बीडब्ल्यूएससी संख्या 1, हिसार (प्रतिवादी संख्या 2) ने वापस भेज दिया। नए निर्णय के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1) को मामला। रिमांड के बाद, संभागीय नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1) ने 9 जनवरी, 2002 के आदेश (अनुलग्नक पी 6) के माध्यम से फिर से आवेदन खारिज कर दिया। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) ने अपने तीन भाइयों के साथ इसके खिलाफ व्यथित होकर अधीक्षक नहर अधिकारी (प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने 5 अक्टूबर, 2004 के आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया। इस तरह मुकदमेबाजी के दो दौर मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) और उनके भाइयों ने सिंचाई के उद्देश्य से भूमि को दूसरे आउटलेट में स्थानांतरित करने के लिए खो दिया था। 5 अक्टूबर, 2004 के आदेश को कोई और चुनौती नहीं दी गई। इसके बाद, मोहोन्दर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा वर्ष 2007 में एक और आवेदन दायर किया गया डिविजनल नहर अधिकारी (प्रतिवादी नंबर 1) आउटलेट आरडी 12000/एल राजली माइनर के चक से आउटलेट आरडी नंबर 8920/आर खरक माइनर गांव बधावर जिला हिसार के चक में उपरोक्त 20.08 एकड़ भूमि को उसी जमीन पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है जिस पर स्थानांतरण भी खारिज कर दिया गया था. संभागीय नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1) ने 17 अप्रैल के आदेश के तहत आवेदन खारिज कर दिया। 2007 (अनुलग्नक पी7)। मोलंडर सिंह (प्रतिवादी नंबर 1) ने इसके खिलाफ व्यथित होकर अधीक्षक नहर अधिकारी (प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने 13 सितंबर, 2007 के आदेश (अनुलग्नक 1'8) के तहत इसे खारिज कर दिया। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 1) ने 17 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी 7) और 13 सितंबर, 2007 (अनुलग्नक पी 8) के आदेशों के खिलाफ श्री ए.के. के समक्ष अपील दायर की। कालरा मुख्य नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3)। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारी राजनीतिक दबाव के कारण और याचिकाकर्ताओं और अन्य शेयरधारकों की कीमत पर

मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) को समायोजित करने के गलत इरादे से और पहले पारित आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, 8 अप्रैल के आदेश के तहत, 2008 (अनुलग्नक पी9) ने मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) की अपील की अनुमति दी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले पर कई अवसरों पर विचार किया गया है और खारिज कर दिया गया है, यह पार्टियों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करेगा। किसी भी मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी 9) 17 नवंबर, 1997 के पहले के आदेश (अनुलग्नक पी 4) की समीक्षा के समान है जो कि है कानून में अनुमति योग्य नहीं।

(6) जवाब में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) के 20.08 एकड़ क्षेत्र को आउटलेट आरडी12000/एल राजली माइनर के चक से उचित सिंचाई नहीं मिल रही है। इसलिए, मुख्य नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी 9) के आदेश के तहत आउटलेट आरडी 8920/आर खरक डिस्ट्रीब्यूटरी के चक 1० क्षेत्र को स्थानांतरित करने का सही आदेश दिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि क्षेत्र को स्थानांतरित करने से, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) को सिंचाई का बेहतर प्रतिशत प्रदान किया जाता है और इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सुविधाजनक, आसान और बेहतर सिंचाई प्राथमिक कारक है जिस पर विचार किया जाना है और वर्तमान मामले में, जिस क्षेत्र को स्थानांतरित किया गया है उसे बेहतर और सुविधाजनक सिंचाई मिलेगी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुनर्न्याय का सिद्धांत सारांश कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होता है और प्रश्न में भूमि के संबंध में आवश्यक सिंचाई प्रदान करने के लिए आवेदन हमेशा बनाए रखने योग्य होगा।

(7) मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर गहन विचार किया है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। ग्राम बधावर के आउटलेट आरडी 12000/एल राजली माइनर के चक से आउटलेट आरडी संख्या 8920/आर खरक माइनर के चक में 20.08 एकड़ भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही। जिला हिसार की शुरुआत मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के आवेदन पर की गई थी। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के चार भाई हैं जिनका नाम भरत सिंह है। धर्मवीर सिंह. धूप सिंह और सूबे सिंह. 20.08 एकड़ के उपरोक्त क्षेत्र में सभी चार भाई सह-हिस्सेदार हैं, जिसका हस्तांतरण आउटलेट आरडी 12000/एल राजली माइनर के चक से गांव बधावर, जिला हिसार के आउटलेट आरडी नंबर 8920/आर खरक माइनर के चक में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के भाइयों में से एक भरत सिंह ने पहले वर्ष 1990 में डिविजनल नहर अधिकारी (प्रतिवादी नंबर 1) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 20.08 एकड़ के उपरोक्त क्षेत्र को उसी तरीके से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जैसा कि अब किया गया है। ढूँढा गया। भरत सिंह का आरोप था कि 20.08 एकड़ क्षेत्र को मौजूदा स्रोत से अच्छी और उचित सिंचाई नहीं मिल रही थी; इसके अलावा,

उसका कुछ क्षेत्र पहले से ही प्रस्तावित आउटलेट के चक में था और वह उपरोक्त दोनों आउटलेट के समायोजन की लागत वहन करने के लिए तैयार था। आउटलेट आरडी 12000/एल राजली माइनर के चक से गांव बधवार, जिला हिसार के आउटलेट आरडी नंबर 8920/आर खरक माइनर के चक में 20.08 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए भरत सिंह के उक्त आवेदन को 14 सितंबर के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। 1990 (अनुलग्नक पी2) संभागीय नहर अधिकारी द्वारा पारित। हिसार भाखड़ा नहर प्रभाग, हिसार। उक्त आदेश के खिलाफ व्यथित भरत सिंह ने हरियाणा नहर और ड्रेनेज अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अपील दायर की। 1974 (संक्षेप में "अधिनियम") जिसे ख़ारिज कर दिया गया। दिनांक 15 जनवरी 1991 के आदेश द्वारा (अनुलग्नक पी3)। इसके बाद भरत सिंह ने 14 सितंबर के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अपील दायर की। 1990 (अनुलग्नक पी2) और 15 जनवरी, 1991 (अनुलग्नक पी3) को क्रमशः प्रभागीय नहर अधिकारी और अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा मुख्य नहर अधिकारी के समक्ष पारित किया गया जिसे भी बर्खास्त कर दिया गया। 17 नवंबर के आदेश के तहत। 1997 (अनुलग्नक पी4)।

(8) संभागीय नहर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14 सितंबर, 1990 (अनुलग्नक पी2) में सिंचाई विवरण से पाया कि जिस क्षेत्र की सिंचाई हस्तांतरित की जानी थी वह 62% की तीव्रता के मुकाबले मौजूदा स्रोत से 151% थी। ऐसे में भरत सिंह के क्षेत्र में सिंचाई मौजूदा स्त्रोत से काफी बेहतर था। इसके अलावा, मौजूदा आउटलेट का एफएसएल (फ्लोर सर्विस लेवल) 718.49 था और प्रस्तावित स्रोत का एफएसएल 716.25 था। स्थानांतरण के अधीन क्षेत्र में प्रस्तावित स्रोत की तुलना में मौजूदा स्रोत से बहुत अच्छी कमांड थी जैसा कि मामले के साथ संलग्न कमांड स्टेटमेंट से स्पष्ट था। अधीक्षण नहर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15 जनवरी 1991 (अनुलग्नक पी3) में पाया कि वर्तमान स्रोत से पानी का मार्ग पंक्तिबद्ध था और प्रस्तावित स्रोत अभी भी अरेखित था। मौजूदा चक का सिंचाई विकास 110% था। अलावा। मौजूदा स्रोत से संबंधित क्षेत्र 151% था जो प्रस्तावित चक की सिंचाई के समान था। भरत सिंह. यह पाया गया कि प्रस्तावित चक में उसके पास दो एकड़ क्षेत्र था जबकि उसके पास मौजूदा स्रोत पर दोनों 'कुर्रों' के मौजूदा चक में 20 एकड़ क्षेत्र था। मौजूदा स्रोत से एफएसएल भी प्रस्तावित स्रोत से अधिक पाया गया। यह क्षेत्र मौजूदा स्रोत से काफी अच्छी तरह से कमांड करने योग्य माना गया था और प्रस्तावित स्रोत से कमांड में और सुधार की कोई संभावना नहीं थी। मुख्य नहर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 7 नवंबर, 1997 (अनुलग्नक पी4) में पाया कि प्रस्तावित स्रोत की तुलना में विचाराधीन क्षेत्र को मौजूदा स्रोत से बेहतर कमांड प्राप्त है और जल मार्ग की इष्टतम लंबाई पहले ही निर्धारित की जा चुकी है जबकि पानी आउटलेट के प्रस्तावित चक की अधिकांश लंबाई में लाइनिंग नहीं की गई थी। दोनों आउटलेट अर्थात मौजूदा और प्रस्तावित दोनों की सिंचाई डिज़ाइन की गई तीव्रता से अधिक थी। इसलिए, तीव्रता में और सुधार नहीं होगा क्योंकि यह पहले ही 62% की डिज़ाइन की गई तीव्रता के मुकाबले 54% की तीव्रता तक पहुंच चुकी है।

(9) भरत सिंह द्वारा शुरू की गई उक्त कार्यवाही समाप्त होने के बाद, अन्य चार भाइयों यानी मोहिंदर सिंह (-प्रतिवादी संख्या 4), धर्मवीर सिंह, धूप सिंह और सूबे सिंह ने वर्ष 2000 में प्रभागीय नहर अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया (प्रतिवादी संख्या 1) कुल 20.08 एकड़ क्षेत्र में से 16.81 एकड़ क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए। क्षेत्र को कम कर दिया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि एक अलग और अलग दावा उठाया जा रहा है। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) और उसके भाई के उक्त आवेदन को संभागीय नहर अधिकारी, हिसार जल सेवा प्रभाग, हिसार (प्रतिवादी नंबर 1) ने आदेश दिनांक 29 सितंबर, 2000 (अनुलग्नक पीएस) द्वारा खारिज कर दिया था। यह पाया गया कि मांग वास्तविक नहीं थी और तदनुसार अस्वीकार कर दी गई थी। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) सहित चार भाइयों ने 29 सितंबर, 2000 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की अनुलग्नक पीएस) अधीक्षण नहर अधिकारी के समक्ष, जिन्होंने मामले को नए निर्णय के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी को भेज दिया। संभागीय नहर अधिकारी ने फिर से मामले की जांच की और 9 जनवरी, 2002 के आदेश (अनुलग्नक पी 6) के तहत मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) सहित भाइयों द्वारा स्थापित योजना को खारिज कर दिया और हटा दिया। प्रभागीय नहर अधिकारी के 9 जनवरी, 2002 के आदेश (अनुलग्नक पी 6) से व्यथित, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) और उनके भाई ने अधीक्षक नहर अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे 5 अक्टूबर, 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। अधीक्षण नहर अधिकारी के दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 के उक्त आदेश की आगे कोई आलोचना नहीं की गई। इस तरह मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) और उनके भाई आउटलेट आरडी के चक से पहले 20.08 एकड़ जमीन और फिर 16.81 एकड़ जमीन ट्रांसफर कराने में सफल नहीं रहे 12000-एल राजली माइनर से चक आउटलेट आर.डी. 8920-आर खरक माइनर मुकदमे के दो दौर में।

(10) मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) ने वर्ष 2007 में आउटलेट आरडी-12000/एल राजली माइनर के चक से 20.08 एकड़ भूमि को आउटलेट आरडी-8920/आर के चक में स्थानांतरित करने की मांग के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू की। खरक माइनर उसी आधार पर जिस आधार पर पहले दो बार हस्तांतरण अस्वीकार किया जा चुका था। संभागीय नहर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी 7) के माध्यम से माना कि मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) की मांग वास्तविक नहीं थी और इसलिए इसे खारिज कर दिया। प्रकाशित योजना को भी हटा दिया गया। यह देखा गया कि सिंचाई विवरण से, स्थानांतरण के तहत क्षेत्र की सिंचाई मौजूदा स्रोत से 62% की तीव्रता के मुकाबले 151% थी। इस प्रकार, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) के क्षेत्र में सिंचाई मौजूदा स्रोत से काफी बेहतर थी। इसके अतिरिक्त। मौजूदा आउटलेट का एफएसएल 719.10 था और प्रस्तावित स्रोत का एफएसएल - 717.72 था। जैसा कि कमांड स्टेटमेंट से स्पष्ट था, प्रस्तावित स्रोत की तुलना में हस्तांतरण के तहत क्षेत्र को मौजूदा स्रोत से बहुत अच्छी कमांड मिली थी। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) ने 17 अप्रैल के उक्त आदेश के खिलाफ व्यथित किया। 2007 (अनुलग्नक पी 7) में संभागीय नहर अधिकारी

(प्रतिवादी संख्या 1) ने अधीक्षक नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने पूरे मामले पर फिर से विचार किया और 13 सितंबर के आदेश के तहत। 2007 (अनुलग्नक पी8) ने एम बाधा सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) की अपील खारिज कर दी। यह पाया गया कि मामले की डिविजनल नहर अधिकारी, हिसार जल सेवा डिविजन द्वारा पांच बार जांच की गई थी। हिसार (प्रतिवादी संख्या 1), अधीक्षण नहर अधिकारी, भाखड़ा प्र. द्वारा दो बार जल सेवा सर्कल नंबर 1, हिसार और एक बार मुख्य नहर अधिकारी, एचआईडी, पंचकुला (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया. इसके अलावा, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) बार-बार क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए आवेदन कर रहा था और उसके द्वारा की गई याचिका को नहर अधिकारियों ने हर कदम पर खारिज कर दिया था। यह देखा गया कि संभागीय नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1), अधीक्षण नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) और मुख्य नहर अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) ने पहले ही इस टिप्पणी के साथ योजना को खारिज कर दिया था कि इसकी कोई संभावना नहीं है। मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) के क्षेत्र की सिंचाई में सुधार। हालाँकि, मुख्य नहर अधिकारी, बीडब्ल्यूएसयू, सिंचाई विभाग, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी 9) के तहत, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 4) की अपील की अनुमति दी गई है। यह देखा गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत केवल 91% था जबकि वर्तमान स्रोत यानी आउटलेट आरडी-12000/एल राजली माइनर से सिंचाई 151% थी और प्रस्तावित स्रोत यानी आउटलेट आरडी-8920/आर खरक से सिंचाई थी। मामूली 175% था. यह देखा गया कि थका देने वाला जलमार्ग क्षतिग्रस्त स्थिति में था और उक्त कारण से, पानी की कमी बढ़ गई थी जिससे संबंधित क्षेत्र की सिंचाई कम हो गई थी। परिणामस्वरूप, क्षेत्र की सिंचाई 91% तक कम हो गई थी। प्रस्तावित स्रोत से क्षेत्र की सिंचाई की तीव्रता कहीं अधिक अर्थात् 175% थी। यह देखा गया कि संबंधित क्षेत्र को आउटलेट आरडी-8920/आर खरक माइनर में स्थानांतरित करने का अच्छा औचित्य था।

(11) तथ्यों और परिस्थितियों में, विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए पहले पारित आदेश न्यायिक के रूप में कार्य करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने पर्यवेक्षी रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है और न्यायिक समीक्षा का दायरा इस बात की गारंटी नहीं देता है कि नहर अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय इस न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। हालाँकि, जहां एक ही विषय वस्तु के संबंध में पहले भी दो दौर की मुकदमेबाजी में और प्रभागीय नहर अधिकारी और अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा वैध रूप से निर्णय लिया गया है और उसके बाद दिनांक 8 अप्रैल, 2008 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 9) आया। मुख्य नहर अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो क्या पार्टियों के लिए यह उचित कहा जा सकता है कि वे अनुकूल आदेश प्राप्त होने तक एक के बाद एक आवेदन दायर करके मुकदमेबाजी करते रहें।

(12) सारांश क्षेत्राधिकार के मामले में, पूर्व न्यायिक सिद्धांत आम तौर पर लागू नहीं होते हैं। **भागीरथ बनाम डिविजनल कैनाल ऑफिसर, सिरसा, (1)** में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने माना कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत सारांश कार्यवाही पर लागू नहीं होता है जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसे आदेशों पर लागू नहीं होता है। उक्त मामले में, एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए दूसरा आवेदन जब स्थानांतरण के लिए पहले का आवेदन मुख्य नहर अधिकारी के स्तर तक पहले ही खारिज कर दिया गया था और परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो इसे वर्जित नहीं माना गया था। यह देखा गया कि प्रभागीय नहर अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है और न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है ताकि पुनर्न्याय के सिद्धांत को आकर्षित किया जा सके। जिस तरीके से आवेदन का निपटारा किया जाता है वह सिविल कोर्ट में किसी वाद के निपटारे के समान नहीं था और न ही किसी मुद्दे को तय किया गया था। मामले पर भरोसा रखा गया; **इंदर सिंह और एक अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, पंजाब और अन्य (2)**। पेप्सू टेनेंसी कृषि भूमि अधिनियम, 1955 के तहत उक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह देखा गया था कि चूंकि अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही सारांश प्रकृति की थी, इसलिए रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं था। इसलिए, ऐसे मामले में जहां एक सारांश प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, पुनर्न्याय के सिद्धांत को अनुपयुक्त माना गया था। हालाँकि, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने **कमलेश बनाम डिप्टी कलेक्टर, सिरसा और अन्य, (3)** में कहा कि अधिकारियों का निर्णय प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है और पुनर्न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं।

(13) मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से न्यायालयों द्वारा पूर्व न्यायिक सिद्धांत को लागू किया गया है। यह निर्णयों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर आधारित है। यह सिद्धांत आम तौर पर मुकदमों में लागू होता है, उन कार्यवाहियों में नहीं जो सारांश प्रकृति की होती हैं। यह सिद्धांत समानता, न्याय और अच्छे विवेक पर भी आधारित है, जिसके लिए आवश्यक है कि जो पार्टी एक बार किसी मुद्दे पर सफल हो गई है, उसे दोबारा उसी मुद्दे के निर्धारण से संबंधित अनेक कार्यवाहियों द्वारा परेशान नहीं होने दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, भले ही पुनर्निर्णय का सिद्धांत पूरी तरह से लागू न हो, विबंधन का सिद्धांत किसी भी मामले में लागू होगा क्योंकि मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) एक ही मुद्दे के निर्धारण की दोबारा मांग नहीं कर सकते। **पश्चिम बंगाल के आधिकारिक ट्रस्टी बनाम स्टीफन कोर्ट लिमिटेड (4)** में यह माना गया कि विबंध के सिद्धांत, छूट। स्वीकृति या न्यायिक निर्णय प्रक्रियात्मक मामले के लिए प्रावधान करता है। उक्त प्रावधान लागू होते

---

(1) 2000(2) RLJ. 132
(2) 1997 (I)P.LJ.52(SC)
(3) 2006 (I) P.LJ. 593
(4) (2006) 13 S.C.C.401

हैं आगामी मुकदमेबाजी को समाप्त करें। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के तहत नहर प्राधिकरण अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं और जहां पार्टियों के अधिकारों को पहले मुकदमे में निर्धारित और निर्णय लिया गया है, इसे बाद के मुकदमे में वर्जित किया जाना है, यानी अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को उस मामले के नए निर्धारण की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिस पर पहले से ही पहले मुकदमे में पार्टियों के बीच फैसला सुनाया जा चुका है।

(14) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, शुरू में मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के भाई भरत सिंह ने सिंचाई के प्रयोजनों के लिए 20.08 एकड़ क्षेत्र को दूसरे आउटलेट में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। मुख्य नहर अधिकारी तक उक्त याचिका खारिज हो गयी। इसके बाद, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) और उनके भाइयों ने एक याचिका दायर की, जिसे अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा पारित आदेश के साथ अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद भी मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) ने इसी उद्देश्य के लिए एक और याचिका दायर की। अधिनियम के तहत कार्यवाही में, मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) और उनके भाई सह-साझेदार हैं और किसी एक द्वारा चलाया गया मामला कानून की नजर में एक ऐसा मामला होगा जिसका अन्य सह-साझेदारों द्वारा भी पीछा किया गया था। यह निश्चित रूप से धोखाधड़ी या मिलीभगत की अनुपस्थिति या मामले की किसी निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई की विफलता के अधीन होगा। इसलिए, एक बार राहत के लिए एक याचिका एक या कुछ सह-हिस्सेदारों द्वारा दायर की गई थी और उसके बाद कुछ अन्य सह-हिस्सेदारों द्वारा समान राहत के लिए याचिका दायर की गई थी, बाद की याचिकाएं यदि पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा पूरी तरह से वर्जित नहीं हैं, तो अगली याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं को किसी भी स्थिति में उसी दावे को दोबारा करने से रोका जाएगा। सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, यह समझदारी होगी कि एक पार्टी को उसी मुद्दे पर बार-बार आंदोलन करने से रोका जाए जिस पर अंततः निर्णय लिया जा चुका है। हालाँकि, ऐसे मामले में जहां अनुचित विचार किया गया है या कोई गलत निर्णय लिया गया है या मामले की किसी भी निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई में धोखाधड़ी, मिलीभगत या विफलता हुई है, सारांश कार्यवाही में अंतिम रूप से निर्धारित किए गए मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। मौजूदा मामले में वैसी स्थिति नहीं है. वर्तमान मामले में पारित विभिन्न आदेशों, जिनका संदर्भ ऊपर दिया गया है, से पता चलता है कि अधिनियम के तहत विभिन्न चरणों और विभिन्न अधिकारियों द्वारा मामले पर उचित विचार किया गया है। इसलिए, एक बार जब मामले का अंतिम निर्णय हो गया और उस पर फैसला सुनाया गया, तो यह उचित और समीचीन होगा कि इसे फिर से उत्तेजित करने की अनुमति न दी जाए। मुख्य नहर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी9) द्वारा जल मार्ग न बदलने की तयशुदा स्थिति को अस्थिर करते हुए न केवल निर्णयों को अंतिम रूप देने से रोक दिया था तक पहुंच गया है, लेकिन एक गलत संदेश दिया है कि एक वादी दावा की गई राहत के लिए आवेदन दायर कर सकता है और भले ही उसे अस्वीकार कर दिया गया हो, उसे बाद के किसी चरण में प्रदान किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति और न्याय प्रशासन के विरुद्ध है।

(15) परिणामस्वरूप, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और मुख्य नहर अधिकारी, बीडब्ल्यूएस सिंचाई विभाग, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2008 (अनुलग्नक पी9) पारित किया गया उसे खारिज किया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम ,हरियाणा